अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 4021 /सेक–2–पांच–16–5(68)/2015

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 8 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2016

विषयः– प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के कार्यरत चिकित्साधिकारियों के वेतन आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–2960/सेक–2–पांच–16–5(68)/2015, दिनांक 05.08.2016(प्रति संलग्न) द्वारा संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी एवं आहरण–वितरण अधिकारी को यह निर्देश दिया गया था कि यदि किसी चिकित्सक द्वारा माह में संपादित कार्यों के संबंध में उसकी उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप दैनिक डायरी के निर्धारित प्रारूप में सूचना समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उस चिकित्साधिकारी का अगले माह का वेतन आहरित न किया जाय। यदि नियंत्रक अधिकारी/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा किसी ऐसे चिकित्सक का वेतन बिल बनाया जाता है व वेतन का आहरण किया जाता है, जिसके द्वारा अपने कार्य का विगत माह का मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा और इसके लिए संबंधित नियंत्रक अधिकारी व आहरण–वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी विभागीय बेससाईट पर चिकित्सकों के वेतन आहरण हेतु निर्धारित प्रारूप/दैनिक डायरी को अद्यतन/अपलोड किये बिना वेतन आहरित किया जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चिकित्साधिकारियों का माह अक्टूबर का वेतन दैनिक डायरी अद्यतन करने/विभागीय वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सूचना अपलोड करने के उपरान्त ही माह अक्टूबर, 2016 का वेतन आहरित किया जाय। यदि उनके द्वारा दैनिक डायरी को अद्यतन नहीं किया जाता है तो माह अक्टूबर, 2016 का वेतन किसी भी दशा में आहरित न किया जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या :– 4021 (1)/सेक–2–पांच–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।

–2–

4– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

5– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला (पुरूष/ महिला) चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

6– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्व सम्बन्धित को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।